न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 122 / 2016

अनवान : –

1. देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भंवरसिंह 2. सुलतानसिह 3. गिरधारीसिंह 4. रामूसिंह 5. पालसिंह 6. सुभाषसिंह
7. प्रहलाद सिंह पि0 अलखसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
8. सुमेरसिंह 9. सरजीतसिंह पि0 फकीरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा।

–प्रतिवादीगण

10. भानीसिंह 11. मानसिंह 12. जगदीश सिंह 13. धारूसिंह 14. मनीराम सिंह
15. भोपालसिंह 16. हरलाल सिंह 17. पप्पूसिंह पि0 डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
18. बसन्ती पत्नी डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
19. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 28/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 90 / 05 के ख0न0 56 की 15.4900 हैक्ट, ख0न0 84 की 6.5120 हैक्ट, ख0न0 90 की 2.6300 हैक्ट, ख0न0 127 / 2 की 13.7830 हैक्ट, ख0न0 208 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 210 की 2.2890 हैक्ट कुल 41.3360 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 18 का 1090 हिस्सा बहिब व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का 1008 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 का 809 हिस्सा बहिब खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बैजा करने में लगे रहते है तथा व्यसनी व्यक्ति है एवं अपने व्यसन की पूर्ती के लिए अपनी भूमि बेचकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीण की कब्जा काश्त की भूमि में अजनबी क्रेतागणों को काबिज कराने मे लगे रहते है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारा में आज से लगभग 70 साल पहले यह भूमि मिली थी तब से लेकर आज तक उक्त वाद भूमि को समतल व उपजाउ बनाते आ रहे है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि में मकानात व ढाणीया बना रखी है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त की भूमि में नाजायजन कब्जा करने की फिराक में है। अतः वाद वादी घोष्णा की जावे की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मदाखलत बैजा न करे एवं सीव ड़ोल न तोड़े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा व कब्जा की भूमि दखल अन्दाजी न करे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 दखल न करे एवं सीव डोल न तोड़े। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी को जवाब हेतु बार– बार समय दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया इसलिए जवाब बंद किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा खोपड़ा सम्वत 2069–72 खाता स0 90/5 व जमाबंदी रोही मौजा खोपड़ा सम्वत 2073–76 खाता स0 91, फोटो ढाणी बहक देवीसिंह पेश की जो की शमिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी, प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 18 का 1090 हिस्सा बहिब व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का 1008 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 का 809 हिस्सा बहिब खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बैजा करने में लगे रहते है तथा व्यसनी व्यक्ति है एवं अपने व्यसन की पूर्ती के लिए अपनी भूमि बेचकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीण की कब्जा काश्त की भूमि में अजनबी क्रेतागणों को काबिज कराने मे लगे रहते है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारा में आज से लगभग 70 साल पहले यह भूमि मिली थी तब से लेकर आज तक उक्त वाद भूमि को समतल व उपजाउ बनाते आ रहे है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि में मकानात व ढाणीया बना रखी है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त की भूमि में नाजायजन कब्जा कर बैचान करने की फिराक में है। अतः वाद वादी घोष्णा की जावे की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मदाखलत बैजा न करे एवं सीव डोल न तोड़े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:29 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस प[illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद मे प्रस्तुत [illegible] [illegible]ही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 90/05 के ख0न0 56 की 15.4900 हैक्ट, ख0न0 84 की 6.5120 हैक्ट, ख0न0 90 की 2.6300 हैक्ट, ख0न0 127/2 की 13.7830 हैक्ट, ख0न0 208 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 210

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 2.2890 हैक्ट कुल 41.3360 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 18 का 1090 हिस्सा बहिब व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का 1008 हिस्सा बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 का 809 हिस्सा बहिब खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बैजा करने में लगे रहते है तथा व्यसनी व्यक्ति है एवं अपने व्यसन की पूर्ती के लिए अपनी भूमि बेचकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीण की कब्जा काश्त की भूमि में अजनबी क्रेतागणों को काबिज कराने मे लगे रहते है। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारा में आज से लगभग 70 साल पहले यह भूमि मिली थी तब से लेकर आज तक उक्त वाद भूमि को समतल व उपजाउ बनाते आ रहे है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि में मकानात व ढाणीया बना रखी है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त की भूमि में नाजायजन कब्जा कर बैचान करने की फिराक में है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजा के मुताबिक उक्त वाद भूमि में वादी की ढाणी बनी हुई है। अगर वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दखल दिया जा रहा है तो अपूर्णीय क्षति वादी को होगी। वादी द्वारा जमाबंदी में दर्ज अपने हक हिस्साा एवं कब्जा काश्त की भूमि में दखल व सीव डोल न तोड़ने हेतु निवेदन किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता स0 90/05 के ख0न0 56 की 15.4900 हैक्ट, ख0न0 84 की 6.5120 हैक्ट, ख0न0 90 की 2.6300 हैक्ट, ख0न0 127/2 की 13.7830 हैक्ट, ख0न0 208 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 210 की 2.2890 हैक्ट कुल 41.3360 हैक्ट भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 जब तक उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग न हो तब तक दखल/मदाखलत बैजा न करे एवं सीव व डोल को न तोड़े। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 122 / 2016

अनवान : –

1. देवीसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भंवरसिंह 2. सुलतानसिह 3. गिरधारीसिंह 4. रामूसिंह 5. पालसिंह 6. सुभाषसिंह
7. प्रहलाद सिंह पि0 अलखसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
8. सुमेरसिंह 9. सरजीतसिंह पि0 फकीरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा।

–**प्रतिवादीगण**

10. भानीसिंह 11. मानसिंह 12. जगदीश सिंह 13. धारूसिंह 14. मनीराम सिंह
15. भोपालसिंह 16. हरलाल सिंह 17. पप्पूसिंह पि0 डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
18. बसन्ती पत्नी डुंगरसिंह जाति राजपूत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
19. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 122 सन 2016 निर्णय दिनांक 28/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य संबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता स0 90 / 05 के ख0न0 56 की 15.4900 हैक्ट, ख0न0 84 की 6.5120 हैक्ट, ख0न0 90 की 2.6300 हैक्ट, ख0न0 127 / 2 की 13.7830 हैक्ट, ख0न0 208 की 0.6320 हैक्ट, ख0न0 210 की 2.2890 हैक्ट कुल 41.3360 हैक्ट भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 जब तक उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग न हो तब तक दखल / मदाखलत बैजा न करे एवं सीव व डोल को न तोड़े। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:13:29 IST
Reason: SelfAttested